

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा
(अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण से सम्बन्धित संस्थाओं के ध्यानार्थ)

अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित संस्थान/सोसायटी को आर्थिक सहायता स्कीम के अन्तर्गत उन सामुदायिक भवनों में जो सामाजिक व शैक्षणिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किये जाने हैं उनके नये भवन निर्माण, भवन को पूर्ण करने, मुरम्मत करवाने, कम्प्यूटर व अन्य उपकरण खरीदने तथा पुस्तकालय में पढने की पुस्तकें और शिक्षा सम्बन्धी सामान खरीदने हेतु 2.00 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है । भवन के निर्माण को पूर्ण करने/मुरम्मत/नवनिर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी ।

आर्थिक सहायता लेने हेतु आवेदन पत्र देने का तरीका

1. अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित संस्थान/सोसायटी, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिये संस्था के पंजीकरण की एवं संविधान की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंगन की जाये।
2. आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मे में होना चाहिये ।
3. संस्थान/सोसायटी के पास कम से कम 100 वर्ग गज का अपना प्लॉट होना चाहिये या सरकार/पंचायत/स्थानीय निकाय/अन्य व्यक्ति द्वारा अलाट/डोनेट किया होना चाहिये जिसकी सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंगन की जाये।
4. प्लॉट की रजिस्ट्री सम्बन्धित संस्था के नाम होनी चाहिये तथा प्रस्तावित भवन का नक्शा व कार्य की अनुमानित लागत आवेदन पत्र के साथ सलंगन की जाये ।
5. यह अनुदान हरियाणा राज्य में कार्य करने के लिये ही दिया जाएगा ।
6. इस स्कीम के तहत यदि किसी संस्थान/सोसायटी द्वारा पहले अनुदान प्राप्त किया हो वह पांच वर्ष के बाद ही आवेदन कर सकती है बशर्ते की उस द्वारा प्राप्त राशि का सदुपयोग कर लिया गया हो ।
7. संस्था/समिति का वार्षिक लेखा जोखा एवं बैलेंस शीट
8. संस्था के प्रधान का नाम व जाति

इच्छुक संस्थान/सोसायटी अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.08.2017 तक सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारियों को भेजें। फार्म विभाग की वेबसाईट www.scbchry.gov.in से download करें। अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें।

जिला कल्याण अधिकारी	दूरभाष नं०	जिला कल्याण अधिकारी	दूरभाष नं०
अम्बाला	0171-2536450	हिसार	01662-283360
पंचकूला	0172-2583378	रिवाड़ी	01274-260758
करनाल	0184-2266093	मेवात एट नूँह	01267-274679
यमुनानगर	01732-237859	गुरुग्राम	0124-2305415
सोनीपत	0130-2220732	पलवल	01275-248056
कुरुक्षेत्र	01744-220459	फरीदाबाद	0129-2285175
पानीपत	0180-2658065	कैथल	01746-234637
झज्जर	01251-254779	फतेहाबाद	01667-230169
रोहतक	01262-269842	नारनौल	01282-250271
भिवानी	01664-242629	जीन्द	01681-269044
सिरसा	01666-248891	चरखीदादरी	01664-242629

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा, एस0सी0ओ0
नं0 42-44 सैक्टर 17- ए, चण्डीगढ ।
Email. dbcharyana@gmail.com
0172-2716248

(Annexure-A)

सेवा में

जिला कल्याण अधिकारी,
.....

मेमो न०

दिनांक:

विषय:- अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण में लगी संस्थाओं/समितियों को आर्थिक सहायता स्कीम के तहत अनुदान हेतु आवेदन पत्र।

1. संस्था/समिति का नाम.....
2. संपूर्ण पता.....
3. संस्था की कार्यवाही समिति (Executive Committee) के सदस्यों का ब्यौरा, नाम, पद, फोन नं०, मोबाईल नं०, पता व ईमेल आईडी सहित.....
4. आवेदित राशि.....
5. अनुदान राशि का उद्देश्य.....
6. पहले प्राप्त की गई किसी भी अनुदान राशि का ब्यौरा
स्रोत.....
राशि..... वर्ष.....
7. क्या पूर्व अनुदान राशि के इस्तेमाल का प्रमाणपत्र जमा करवा दिया गया है.....
.....
8. संस्था/समिति के नाम भूमि के प्रमाण की प्रति.....
9. संस्था/समिति के पंजीकरण के प्रमाण की प्रतिसत्यापित प्रति एवं संविधान की प्रति.....
.....
10. भवन योजना की प्रति तथा अनुमानित खर्च की विस्तृत जानकारी.....
11. संस्था के प्रधान का नाम व जाति.....
12. बैंक का नाम, खाता न०, आई०एफ०एस०सी० कोड तथा पैन नं०.....
.....
13. संस्था/समिति का वार्षिक लेखाजोखा एवं बैलेंस सीट.....
14. अन्य सूचना जो देना चाहें.....

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
(संस्था/समिति की सील के साथ)

